राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, राजस्थान, जयपुर

क्र. सं.	अपील संख्या एवं अपीलार्थी का नाम	प्रत्यर्थीगण का नाम	प्रस्तुतिकरण की दिनांक	अपीलार्थीगण की ओर से
1.	3114/2025 महेन्द्र शर्मा	शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर एवं अन्य।	23.06.2025	श्री उम्मेद सिंह तंवर अभिभाषक
2.	3115/2025 रमेश चन्द बुनकर			
3.	3116/2025 नैमीचन्द सैनी			
4.	3117/2025 हरिनारायण बुनकर			
5.	3118/2025 रामकिशोर यादव			
6.	3119/2025 दीपक कुमार शर्मा			
7.	3120/2025 विष्णू कुमार कुमावत			
8.	3121/2025 पूजा कंवर			

आदेश की दिनांक : 30.06.2025

समक्ष :– विकास सीतारामजी भाले, अध्यक्ष
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. उपर्युक्त तालिका में वर्णित समस्त अपीलों की तथ्यात्मक स्थिति समान प्रकार की है और इनमें निहित विधि का प्रश्न भी समान है। अतः इन समस्त अपीलों को इस एकल आदेश द्वारा निस्तारित किया जा रहा है। सुविधा की दृष्टि से अपील संख्या 3114/2025 महेन्द्र शर्मा बनाम राजस्थान राज्य जरिये शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर एवं अन्य के तथ्य विवेचित किये जा रहे हैं।

2. मामलों की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर उक्त समस्त अपीलों पर सुनवाई की गई।

3. अपीलार्थीगण के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थीगण वर्तमान में शारीरिक शिक्षक व अध्यापक ग्रेड–III के पद पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, रायकर्णपुरा, कोटपुतली, जिला कोटपुतली–बहरोड़ में कार्यरत है। जिला शिक्षा अधिकारी, जयपुर के द्वारा नियुक्ति की वर्ष 2016 एवं अन्य वर्षों में की गई थी। अपीलार्थीगण का पदस्थापन जयपुर जिले में ही किया गया था। परन्तु राज्य सरकार ने दिनांक 06.08.2023 (अनुलग्नक–3) के द्वारा कोटपुतली–बहरोड़ को नया जिला बनाया गया। नया जिला बनाने के पश्चात् अपीलार्थीगण से विकल्प पत्र नहीं मांगे गये तथा अपीलार्थीगण की बिना सहमति के जयपुर जिला से भिन्न जिला

कोटपुतली–बहरोड़ में कर रखा है। निर्देशालय माध्यमिक शिक्षा ने दिनांक 20.01.2024 को विकल्प पत्र लिये जाने हेतु निर्देश जारी किये थे तथा उसी के अनुसार वरिष्ठता निर्धारित करने हेतु निर्देश जारी किये थे। परन्तु प्रत्यर्थी विभाग ने आज तक अपीलार्थीगण को जयपुर जिले में वापस पदस्थापित नहीं किया है। अपीलार्थीगण को नये जिले कोटपुलती–बहरोड़ में पदस्थापित कर रखा है। माननीय उच्च न्यायालय ने एस.बी.सिविल रिट पिटिशन संख्या 13935/2023 दशरथ सिंह एवं अन्य में दिनांक 18.09.2023 को तथा एस.बी.सिविल रिट पिटिशन संख्या 19099/2023 जयनारायण एवं अन्य में भी ये निर्देश जारी किये है कि विभाग कार्मिक के अभ्यावेदन को विकल्प पत्र के अनुसार नये जिले व अन्य जिले में पदस्थापित करे तथा कार्मिक के अभ्यावेदन को विकल्प पत्र के अनुसार निस्तारित करे। अपीलर्थी का प्रकरण भी समान तथ्यों पर आधारित है। अपीलार्थीगण ने भी प्रत्यर्थी विभाग को अभ्यावेदन प्रस्तुत किया था। परन्तु प्रत्यर्थी विभाग द्वारा उस कोई कार्यवाही नहीं की गई। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित करे कि अपीलार्थीगण को मूल जिले जयपुर में ही पदस्थापित किया जावे।

4. हमने अपीलार्थीगण के विद्वान् अधिवक्ता को अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र पर सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

5. बहस के दौरान अपीलार्थीगण के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया है कि अपीलार्थीगण द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान करने का अनुरोध किया गया। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

6. अतः प्रस्तुत अपीलों के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए एवं अपीलार्थीगण विद्वान् अधिवक्ता द्वारा किये गये अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थीगण 2 सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित आधारों पर एक अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी 4 सप्ताह की अवधि में एक आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर निस्तारित करे और ऐसे

निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थीगण को दें। अभ्यावेदन को निर्धारित अवधि में नियमानुसार निस्तारित किया जावे।

7. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

8. मूल आदेश अपील संख्या 3114/2025 महेन्द्र शर्मा बनाम राजस्थान राज्य जरिये शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर एवं अन्य की पत्रावली में रखा जावे एवं इस आदेश के शीर्षक की तालिका में वर्णित अन्य समस्त पत्रावलियों में इस आदेश की छाया प्रति संलग्न की जावे।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(विकास सीतारामजी भाले)
अध्यक्ष